

17/3

पनावली पेशा दुई वकील उभय पक्ष उभयपक्षत ।
 न्यायालय स्थान मे वकल-वकल कर तीन पक्षवाक्यवत्
 पुनरावर्तन माई लेखिन कोई उपस्थित नही हुं जा । एतमे
 पनावली को अवलोकन किया । वकील वकी को तलवा
 पेशा करत हेतु पनावली अवगत प्रदान करत से उपरान्त
 भी तलवा पेशा नही की गई हे। न्यायालय आवेका - 9
 नियम 3 व 5 के तहत वाड वकारत करत डायरी संभव
 है। कतः वाड वकी वकारत नियमित है पनावली
 पनावली शुभव हेकर वाड वकील वकलील व वकील
 वकारत है।

उपखण्ड अधिकारी
 डालापाड़